न्यायालय सं0–2

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः– मा0 श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका संख्या–1132/2008

डा0 अनिल कुमार प्रधान, आयु लगभग 53 वर्ष, पुत्र स्व श्री जनार्दन प्रधान, निवासी 102, राजेन्द्र विहार कालोनी, नेवाड़ा, पोस्ट आफिस सुन्दरपुर, जनपद वाराणसी, वर्तमान तैनाती वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन श्री शिव प्रसाद गुप्ता मण्डल हास्पिटल, वाराणसी।

.....याची

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय वाराणसी।

..... विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–
श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, अधिवक्ता.....(याची)
विद्वान् प्रस्तुतकर्ता अधिकारी.....(विपक्षीगण)

निर्णय

द्वारा माननीय श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशासकीय)

याची द्वारा यह याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 08.07.2008 (संलग्नक–1) जिसके द्वारा याची को परिनिन्दा एवं दो वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप दो वर्ष के लिए रोके जाने संबधी दण्ड प्रदान किया गया है, को अपास्त कर अनुगामी समस्त सेवा लाभ दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण को आदेशित किये जाने के अनुतोष हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य यह हैं कि याची संघ लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा चयनित होकर आदेश दिनांक 14.10.1988 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर, बलिया में नियुक्त हुआ। याची का स्थानान्तरण माह जुलाई 1990 में जिला चिकित्सालय वाराणसी में हुआ तत्पश्चात् माह जुलाई 2004 में जिला चिकित्सालय वाराणसी से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कछेवा मिर्जापुर में स्थानान्तरित हुआ। याची जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कछेवा मिर्जापुर में चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त था तो उसे स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण न करने तथा कार्यमुक्त किये जाने के बाद भी मनमाने तरीके से

उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के आरोप में आदेश दिनांक 22.05.2005 (संलग्नक–2) द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई थी। याची द्वारा निलम्बन अवधि के दौरान विपक्षी सं0 1 के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सम्यक् विचार करते हुए उसे आदेश दिनांक 04.09.2006 द्वारा सेवा में बहाल किया गया परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही को यथावत बनाये रखा गया। याची को दिनांक 20.10.2005 को आरोपपत्र निर्गत किया गया जिसका उत्तर याची द्वारा आरोप से इंकार करते हुए प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा याची के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए अपनी जांच आख्या दिनांक 23.03.2006 को अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रेषित की गयी जिसमें याची को दोषी नहीं पाया गया है। जांच अधिकारी द्वारा याची के ऊपर लगे आरोप सिद्ध न पाये जाने के बावजूद उसे दिनांक 07.02.2007 को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया। याची द्वारा उक्त नोटिस के संबध में अपना विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 20.02.2007 को आरोप से इंकार करते हुए प्रस्तुत किया गया। दण्डाधिकारी द्वारा याची के उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार किये बिना उसके विरूद्ध दिनांक 08.07.2008 को उसकी 02 वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिए रोकते हुए विरूद्ध को परिनिन्दा संबधी दण्डादेश पारित किया गया। याची के अनुसार चूंकि उसके विरूद्ध विपक्षी सं0 1/शासन द्वारा ही दण्डादेश पारित किया गया है जिस कारण याची उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। तदनुसार याची द्वारा याचिका योजित कर स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3. याची द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश को अपास्त कर याचिका को स्वीकार किये जाने हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किये गये हैंः–

1. विपक्षीगण द्वारा पारित दण्डादेश अवैध रूप से तथा मनमाने ढंग से पारित किया गया है।
2. याची पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं हैं जिसके लिए उसे दण्डित किया जा सके।
3. जांच अधिकारी ने याची को कथित आरोपों से बरी कर दिया है उसके बावजूद याची को दण्डित किया गया है जो नियमसंगत नहीं है।
4. दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड पारित करने से पूर्व आरोपपत्र के जवाब तथा कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार नहीं किया है।
5. याची को स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो उसे कभी दिया ही नहीं गया था।

4. प्रतिपक्षीगण को लिखित कथन/प्रतिवादपत्र दाखिल करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा लिखित विवेचन दाखिल नहीं किया गया है जिस पर अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.09.2011 द्वारा लिखित विवेचन दाखिल करने का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली को एकपक्षीय रूप से अन्तिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

5. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिवत् अवलोकन/परिशीलन किया।

6. याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड पारित करते समय याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर सम्यक् रूप से विचार नहीं किया गया। याची द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा याची पर आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण उसे दोषी नहीं पाया गया है उसके बावजूद दण्डाधिकारी द्वारा याची के विरूद्ध उसकी 2 वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए रोके जाने संबधी दण्ड पारित किया गया है जो नियमसंगत हनीं है। अतः दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि याची को दिनांक 20.10.2005 को आरोपपत्र निर्गत किया गया है जिसमें याची पर कुल दो आरोप लगाये गये हैं जो निम्नवत् हैंः–

(क). दिनांक 28.04.2005 को आयुक्त, वाराणसी/विन्ध्याचल मण्डल के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए।

(ख). याची द्वारा स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा कार्यमुक्त किये जाने के बाद भी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया और मनमाने तरीके से पूर्व तैनाती स्थान पर उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज की जा रही है।

8. याची द्वारा उक्त आरोपपत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मीरजापुर में मेडिकल आफिसर (सर्जन) के पद पर तैनात था। वह दिनांक 26.04.2005 तक अपनी नियमित ड्यिूटी पर रहा तथा दिनांक 27.04.2005 को ए.एस.जे. मऊ न्यायालय में पेशी हेतु उपस्थित होने के कारण उपस्थिति पंजिका में सी.एल. लिखकर गया था। इसके पश्चात दिनांक 28.04.2005 से 02.05.2005 तक वह आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र अधीक्षक द्वारा अनुमोदित कराकर जनपद मऊ चला गया। याची दिनांक 28.04.2005 को आयुक्त वाराणसी विन्ध्याचल मण्डल के निरीक्षण के दौरान अवकाश पर होने के कारण

अनुपस्थित था। याची द्वारा यह भी कहा गया कि आकस्मिक अवकाश के दौरान वह हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित हो गया जिसका इलाज उसने वाराणसी जिला चिकित्सालय में कराया। डाक्टर की सलाह पर वह दिनांक 30.04.2005 से 29.09.2005 तक पूर्ण बेड रेस्ट पर था। याची द्वारा दिनांक 26.04.2005 के बाद उपस्थिति पंजिका में कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। याची को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा भेजा गया स्थानान्तरण आदेश प्राप्त नहीं कराया गया है। उसके बावजूद याची को स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण न करने के संबध में दोषी पाया गया है। दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश पारित करते हुए दण्डित किया गया है।

9. पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश दिनांकित 08.07.2008 (संलग्नक–1) के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि याची को दिनांक 07.02.2007 को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर उसका अभ्यावेदन मांगा गया जिसके संबध में याची द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2007 को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश में मात्र यह कथन किया गया है कि **"उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत डा0 प्रधान को दण्डित किये जाने का निर्णय लेते हुए पत्र दिनांक 07.02.2007 द्वारा डा0 प्रधान का अभ्यावेदन मांगा गया, जोकि उनके पत्र दिनांक 20.02.2007 द्वारा शासन मे प्राप्त हुआ। डा0 प्रधान ने अपने अभ्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर पूर्व विनिश्चित दण्ड में विचलन का अवसर पैदा हो सके। डा0 प्रधान के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड पर लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी, जोकि मा0 आयोग के पत्र दिनांक 14.05.2008 द्वारा शासन में प्राप्त हुई। अतः सम्यक् विचारोपरान्त डा0 ए0के0 प्रधान तत्कालीन चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कछवा मीरजापुर की 02 वेतनवृद्धियां अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिए रोकते हुए उन्हें परिनिन्दित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।"** याची द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि दिनांक 28.04.2005 को आयुक्त वाराणसी विन्ध्याचल मण्डल के निरीक्षण के दौरान वह अवकाश पर था। याची दिनांक 27.04.2005 को ए.एस.जे. मऊ न्यायालय में पेशी हेतु उपस्थित होने के कारण अवकाश पर था। जबकि दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए याची को परिनिन्दा एवं दो वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिए रोके जाने संबधी दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश सकारण एवं मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

10. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा है कि दण्डाधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित करते समय याची के उत्तर पर कोई विचार नहीं किया गया है जिस कारण प्रश्नगत दण्डादेश किसी भी रूप में मुखरित एवं सकारण आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। याची ने अपने तथ्य के समर्थन में **मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज (एल0एण्ड एस0) 679** की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है जिसमे निम्नलिखित सिद्वांत प्रतिपादित किया गया हैः–

> **"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside. "**

11. मा0 उच्चतम न्यायालय ने **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010 (2) एस0सी0सी, 497** में यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे मुखरित होना चाहिये और उसमें संगत कारणों का विधिवत् उल्लेख होना चाहिये–

> **“That the requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned.”**

12. इसी प्रकार कारण और निष्कर्ष के संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर (1973) 2 एस0सी0सी0 836** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है किः–

> **“Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached.”**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि दण्डाधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश सकारण एवं मुखरित होना चाहिए जबकि प्रश्नगत प्रकरण में दण्डाधिकारी द्वारा याची के उत्तर पर

सम्यक् रूप से विचार किये बिना अमुखरित एवं अकारण दण्डादेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

13. याची के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में जांच अधिकारी ने संलग्नक–6 के माध्यम से यह लिखा है कि डा0 प्रधान, याची दोषी नहीं पाये गये हैं। उसके उपरान्त शासन ने याची से पुनः स्पष्टीकरण मांगा है तथा उसके उपरान्त याची द्वारा अपना स्पष्टीकरण संलग्नक–8 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसके उपरान्त दण्डाधिकारी द्वारा याची को दण्डित किया गया है। याची के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब याची को जांच अधिकारी ने दोषमुक्त कर दिया तो तो ऐसी स्थिति में जब दण्डाधिकारी जांच अधिकारी से भिन्न मत रखते थे तो उन्हें भिन्न मत रखने का आधार देना चाहिए था किन्तु इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया याची के पक्ष में केस है। इस मामले में याची द्वारा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र भी दिया गया था जिस पर विपक्षी ने "देखा" लिखा है परन्तु उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विपक्षी का दायित्व था कि वह उपरोक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार या अस्वीकार करते। इस मामले में एक तथ्य यह भी है कि जिस प्रकरण के संबध मे ंयाची को आरोपित किया गया है उस दिनांक को वह सेशन न्यायालय, मऊ में साक्ष्य देने हेतु गया था। उक्त तथ्य संलग्नक–5 से स्पष्ट है। जिस साक्ष्य के आधार पर याची को दण्डित किया गया है वह साक्ष्य भी महत्वहीन हो गया है एवं पारित आदेश सकारण आदेश नहीं है। इस प्रकार में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम–10(2) का पालन नहीं किया गया है। याची द्वारा जो तथ्य स्पष्टीकरण में उठाये गये थे उस पर कोई विचार नहीं किया गया है एवं जिस साक्ष्य के ऊपर याची को दण्डित किया गया है वह साक्ष्य भी पूर्ण साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश उचित प्रतीत नहीं होता है।

14. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना, तथ्यों, तर्कों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि याची को प्रदत्त परिनिन्दा एवं दो वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिए रोके जाने संबधी दण्डादेश किसी भी प्रकार से सकारण एवं मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं पाया जाता है। जांच अधिकारी द्वारा याची को जांच में दोषी न पाये जाने के बावजूद उसे दण्डित किया गया है जो नियमसंगत नहीं है। याची की दिनांक 27.04.2005 को ए.एस.जे. मऊ न्यायालय में पेशी थी तथा दिनांक 28.04.2005 से 02.05.2005 तक आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र अधीक्षक द्वारा अनुमोदित कराकर जनपद मऊ चला गया। जिस कारण

वह दिनांक 28.04.2005 को आयुक्त वाराणसी विन्ध्याचल मण्डल के निरीक्षण के दौरान अवकाश पर होने के कारण अनुपस्थित था। उक्त तथ्य को नजरंदाज करते हुए दण्डाधिकारी द्वारा याची को दण्डित किया गया है। अतः पारित दण्डादेश सकारण एवं मुखरित न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.09.2008 द्वारा दण्डादेश को स्थगित भी किया जा चुका है। उक्त के आधार पर भी दण्डादेश को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 08.07.2008 (संलग्नक–1) अपास्त किया जाता है।

वाद–व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(सुखलाल भारती)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 21 अगस्त 2026
(सौ0सि0) आशु0